

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ़
राम लाल

मुकदमा

212

बनाम

अनना लाल वर्मा

नं.

27

सन् 16

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

29/6/2018

पत्रावली नं. 11 आपने 6/6/18 माण्डलगढ़ में
पेश हुई। वकील आधी उपस्थित। वकील आधी ने
उपस्थित लोक आर्चना पत्र क्रि. नं. 3 में
वर्णित विवादित आराजिमात में विपक्षीय
को अस्थायी निषेधाज्ञा के फावन्ड डिमाज
का निवेदन किया।
अतः वकील आधी का निवेदन स्वीकार किया
जाता आर्चना पत्र क्रि. नं. 3 में वर्णित
रुषि छमि भोजा वरी लाल वरी 20000 58 व
59 में विपक्षीय को वल आवाय के अस्थायी
निषेधाज्ञा के फावन्ड डिमाज है कि विपक्षीय
मूलवाद के निम्नानुसार तक राजस्व नकाउ
के आधार पर बनाये स्थानों। पत्रावली
केवल अन्त लोक नं. 3 के कम है।
आर्चना पत्र मूलवाद के साथ लाल वरी

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़